

कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा (छ.ग.)

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ)

Email- drda.bmt@gmail.com, zp-bemetara.cg@nic.in



विज्ञापन

क्रमांक/ 1056/ जि.पं./ मनरेगा/ स्था./ भर्ती/ 2018-19

बेमेतरा, दिनांक 07/03/2019

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिला पंचायत स्तर पर अधोवर्णित संविदा (निश्चित एकमुश्त वेतन) पद व उनके सम्मुख दर्शाए विवरण अनुसार नियुक्ति हेतु अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 25.03.2019 को सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं :

क्र.	पद का नाम	रिक्त पद					संविदा वेतन (मासिक एकमुश्त)	शैक्षणिक अर्हता एवं मेरिट अंक		
		अनारक्षित	कुल	अजजा	स.पि.व.	सं.		शैक्षणिक अर्हता	विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समन्वयक शिकायत निवारण	01 पद (मुक्त)	0	0	0	01 पद	रु. 36465/-	प्रथम श्रेणी में एम.बी.ए. (ग्रामीण प्रबंधन/ ग्रामीण विकास/ पी.जी.डी. आर.एम./ पी.जी.डी.आर.डी. / सामाजिक कार्य (एम.एस.डब्ल्यू) सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का वेटेज देते हुए कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :- न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	70 15 5 10 15
2	लेखापाल	01 पद (मुक्त)	01 पद (मुक्त)	0	0	02 पद	रु. 16445/-	55 प्रतिशत में बी.काम (अ.ज.जा एवं अ. जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी. काम)	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक Weightage देते हुए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंक Weightage देते हुए कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा पर शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :- न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	20 50 15 5 10 15
3.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	01 पद (मुक्त)	01 पद (मुक्त)	0	0	02 पद	रु. 16445/-	1. कक्षा 12वी, (10+2) बोर्ड द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा कक्षा 10वी, बोर्ड उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंकों का Weightage देते हुए शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :- न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष तक का अनुभव 5 वर्ष से अधिक का अनुभव	20 65 5 10 15

4.	सहायक ग्रेड-3	01पद (मुक्त) 01पद (महिला)	0	0	0	02 पद	रु. 12675/-	1.मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 100 अंको का Weightage देते हुए	40
								2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।	कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	45
								3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाइपिंग में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)	शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
5.	भृत्य	01 पद (मुक्त)	0	0	0	01 पद	रु. 10140/-	5 वीं पास	न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
									5 वर्ष तक का अनुभव	10
									5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
									5 वीं में प्राप्त प्रतिशत पर	65
									हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत	20
									शासकीय ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव:-	
									न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक अनुभव	5
									02 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक अनुभव	10
									05 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

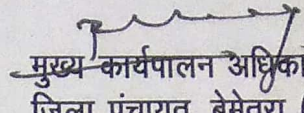
विज्ञापन, नियम व अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना फलक पर एवं वेब साईट www.bemetara.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

नियम व शर्तें :-

- आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2019 के आधार पर की जायेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति सत्यापन प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- निःशक्तजन को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व-प्रमाणित होना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
- संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. पदों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं एवं पद रिक्त होने की दशा में प्रवर्गवार पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक के 01 वर्ष के भीतर आवश्यकतानुसार नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है।
13. जिले में प्राप्त कुल पात्र आवेदन पत्रों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी और उनको कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित अनुपात में बुलाया जायेगा तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
14. यदि प्राप्त पात्र आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम से कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदकों को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में यदि पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
15. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
16. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
17. अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित जिला पंचायत/संस्थान से कराया जा सकता है एवं संबंधित संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के कार्य व्यवहार संबंधी अभिमत प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त होने वाले अभिमत में यदि नकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का चयन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा।
18. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत किसी पद से पृथक किया गया है अथवा उनकी सेवा वृद्धि नहीं की गयी है तो वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
19. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
20. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
21. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
22. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। इसी प्रकार लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखें, आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा 05-05 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ 02 लिफाफा भी संलग्न करें।
23. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
24. आवेदक का आवेदन दिनांक 25.03.2019 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बेमेतरा में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक 25.03.2019 को सायं 5.00 बजे के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे और ऐसे आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

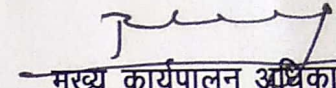
25. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
26. विज्ञापन एवं आवेदन का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत बेमेतरा के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट **www.bemetara.gov.in** में देखा जा सकता है।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, बेमेतरा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 1057/जि.पं./मनरेगा/स्था./भर्ती/2018-19
प्रतिलिपि:-

बेमेतरा, दिनांक 07/03/2019

1. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-II अटल नगर रायपुर, को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, दुर्ग संभाग -दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा) जिला-बेमेतरा को सूचनार्थ संप्रेषित।
4. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी को उपरोक्तानुसार जिले के वेबसाइट **www.bemetara.gov.in** में अपलोड किए जाने हेतु सूचनार्थ।
5. जिला रोजगार अधिकारी, जिला-बेमेतरा को अपने कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
6. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अपने कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, बेमेतरा (छ.ग.)

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, बेमेतरा (छ.ग.)

स्व-प्रामाणित
वर्तमान फोटो
चिपकाएं

- पद का नाम जिसके लिए :
आवेदन किया जा रहा है
- आवेदक का नाम (हिंदी में) :
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में) :
- पिता/पति का नाम :
- जाति (अजा/अजजा/पि.वर्ग :
/सामान्य) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
- लिंग :
- जन्मतिथि (अंको में) :
(शब्दों में) :
- आयु (01.01.2019 के अनुसार) : वर्ष माह दिवस
- क्या आप आयु सीमा में छूट का दावा करते हैं यदि हां तो
कितने वर्ष की ? :
- स्थायी पता :
:
- पत्र व्यवहार का पता :
:
- दूरभाष/मोबाईल नंबर :
- ई-मेल एड्रेस :
- क्या आप छ.ग. के मूल निवासी हैं (हां/नहीं) :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न) :
- वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग) :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न)
- शैक्षणिक योग्यता की जानकारी (दस्तावेजों की स्वप्रामाणित छायाप्रति संलग्न करें)

स. क.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय का नाम	बोर्ड / वि. विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

16. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव का विवरण (संलग्न करें)

पद का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यरत अवधि	वेतनमान एवं संविदा वेतन	नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
		दिनांक.....से दिनांक.....तक कुल वर्ष..... माह.....		

17. क्या आवेदक को पूर्व में अनियमितता के आधार पर पद से पृथक किया गया है अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गयी है, यदि हां तो जानकारी दें :

18. क्या आप दिव्यांग है ? :

(यदि है तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत) :

19. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि को :

(आयु वर्ष में) :

जीवित बच्चों की संख्या :

टीप :- जाति, मूलनिवासी, जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता अन्य चाही गई योग्यता अनुभव, व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

संलग्न प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की सूची

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा -पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है, इनमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)